अध्याय-IV

विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-IV

विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किए गए संव्यवहारों की नमूना जांचोपरान्त महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं।

पर्यटन विभाग

4.1 पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

4.1.1 उत्तर प्रदेश राज्य के पास पर्यटन के विविध अवसर हैं। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) समय-समय पर विभिन्न पर्यटन विकास गतिविधियां निष्पादित करती रही है और विभिन्न विकासात्मक एवं उन्नयन कार्य करती रही है; कुछ परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जबकि अन्य को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उ.प्र. सरकार ने वर्तमान अवसंरचना को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास, आय और रोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2018 और 2022 में पर्यटन नीति भी तैयार की है।

राज्य में पर्यटन विकास गतिविधियों को लागू करने का उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय (निदेशालय), उ.प्र. सरकार का है। वर्तमान में, जून 2024 तक निदेशालय का नेतृत्व महानिदेशक (डीजी) द्वारा एक वित्त नियंत्रक, एक निदेशक, सात उप निदेशक और नौ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों की सहायता से किया जाता है। निदेशालय, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। वर्तमान में प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ही महानिदेशक पर्यटन भी हैं।

निदेशालय ने 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान तीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं यथा; स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) और संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत 12 परियोजनाओं[1] को निष्पादित किया। भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 466.98 करोड़ स्वीकृत किए और निदेशालय को ₹ 395.82 करोड़ की धनराशि जारी की। इसके विरूद्ध अब तक (मई 2024) ₹ 392.40 करोड़ व्यय किए गए। इनमें से ग्यारह परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं

---

[1] पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजना के अन्तर्गत क्रमशः पाँच एवं छः परियोजनाएं तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत एक परियोजना स्वीकृत की गई।

और शेष एक परियोजना[2] की भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत (मई 2024) थी, जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में वर्णित है। उपर्युक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित पर्यटक स्थलों को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: 12 परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले पर्यटक स्थलों को दर्शाने वाला चार्ट

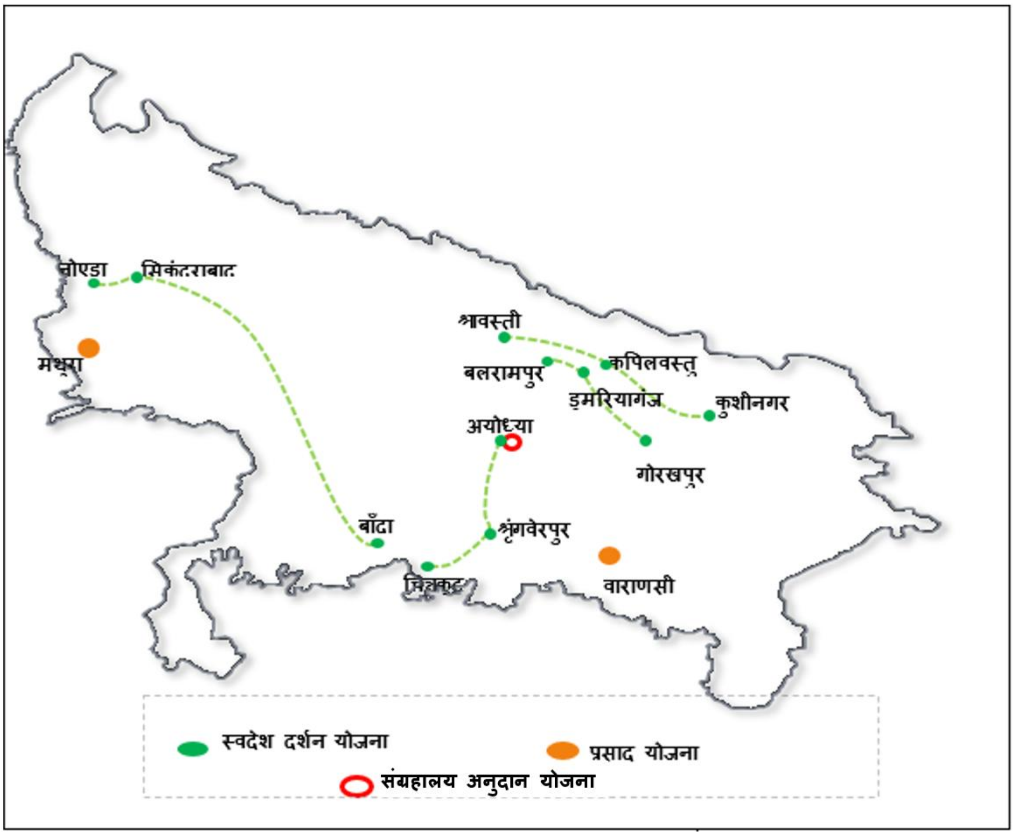

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा पर्यटक स्थलों का चित्रण

उपर्युक्त के अलावा, निदेशालय ने 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान राज्य बजट से चार योजनाओं यथा राज्य योजना, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद (यूपीबीटीवीपी) द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना और जिला योजना के अन्तर्गत 970 परियोजनाएं स्वीकृत कीं। दिसम्बर 2023 तक इन परियोजनाओं पर किए गए व्यय और इनके पूर्ण होने की स्थिति, जैसा कि निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है, को **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या			व्यय की गई धनराशि
		पूर्ण	प्रगति में	कुल योग	
1	राज्य योजना	139	328	467	534.98
2	उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएँ	18	7	25	70.95

[2] संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में डिजिटल रामायण गैलरी एवं आर्ट गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन), अयोध्या, फैजाबाद का विकास।

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या			व्यय की गई धनराशि
		पूर्ण	प्रगति में	कुल योग	
3	मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना	361	21	382	161.27
4	जिला योजना	73	23	96	7.06
महायोग (1 से 4 तक)		**591**	**379**	**970**	**774.26**

स्रोत: पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

निदेशालय ने केन्द्रीय योजनाओं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन), यू.पी. प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए), उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ (सी एण्ड डी एस) विंग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसटीडीसी) आदि के माध्यम से किया।

उपरोक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित कार्यों में पर्यटक सुविधा/ सूचना केन्द्र, पार्किंग, शौचालय, पेयजल सुविधा, परिक्रमा के लिए छादित शेड, सीसीटीवी, सोलर एवं प्रकाश, साइनेज, फूड प्लाजा, साउण्ड एण्ड लाइट शो तथा डिजिटल गैलरी आदि का निर्माण सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

4.1.2 वर्तमान विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आँकलन करना था कि क्या:

- परियोजनाओं की पहचान, प्राथमिकीकरण एवं नियोजन उचित तरीके से किया गया ताकि स्थलों पर पर्यटक संभावनाओं को बढ़ाया जा सके;
- गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का एकीकृत विकास करने के लिए चयनित परियोजनाओं को कुशल, प्रभावी और समन्वित तरीके से क्रियान्वित किया गया; और
- निर्मित सुविधाओं के संचालन एवं रख-रखाव की निगरानी के लिए उचित निगरानी प्रणाली स्थापित किए गए।

लेखापरीक्षा के मानदण्ड

4.1.3 लेखापरीक्षण के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गए जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- भारत सरकार द्वारा निर्गत योजना सम्बन्धी दिशानिर्देश/निर्देश/परिपत्र;
- उ.प्र. सरकार एवं कार्यदायी संस्था द्वारा निर्गत निर्देश/परिपत्र;
- परियोजनाओं को दी गई संस्वीकृति में निहित नियम एवं शर्तें;
- भारत सरकार द्वारा निर्गत सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधान एवं उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका;
- योजनाओं की क्लोज़र रिपोर्ट;

- कार्यदायी संस्थाओं एवं वास्तुकारों के साथ निष्पादित समझौतों के प्रावधान; और
- सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/मॉर्थ कार्य मैनुअल।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

4.1.4 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (आर्थिक क्षेत्र) की 2017 के प्रतिवेदन संख्या 1 में उत्तर प्रदेश सरकार के 'राज्य पर्यटन सर्किटों में सुविधाओं के उन्नयन एवं विस्तार' पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई थी, जिसमें 2011-12 से 2015-16 की अवधि आच्छादित थी।

अग्रेतर, स्वदेश दर्शन योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय के 2023 के प्रतिवेदन संख्या 17 में सम्मिलित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 2014-15 से 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कार्यान्वित परियोजना के निष्कर्ष सम्मिलित थे।

वर्तमान विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं यथा स्वदेश दर्शन, प्रसाद एवं संग्रहालय अनुदान योजना में वर्ष 2014-15 से 2022-23 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में निदेशालय द्वारा निष्पादित किये गए कार्यों की जाँच आच्छादित है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की सामान्य जाँच के अतिरिक्त जैसा कि क्रमशः **परिशिष्ट-4.1** और **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है, केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित 12 परियोजनाओं में से छः (परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में 50 प्रतिशत और किए गए व्यय के संदर्भ में 53 प्रतिशत) और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित 970 परियोजनाओं में से 77 परियोजनाओं (परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में 7.94 प्रतिशत एवं किए गए व्यय के संदर्भ में 28.20 प्रतिशत) का एक नमूना विस्तृत जाँच के लिए चुना गया था।

जबकि केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के नमूने का चयन **(परिशिष्ट-4.1)** उनकी स्वीकृत लागत, किए गए व्यय और पूर्णता की अवधि के व्यापक मानदण्डों के आधार पर किया गया था, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं का चयन (**परिशिष्ट-4.2**) राज्य योजना और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के सम्बन्ध में इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस (आईडिया) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया था तथा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना और जिला योजना के अन्तर्गत 478 परियोजनाओं को

उनकी बड़ी संख्या और किए गए निरर्थक व्यय के कारण आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर आठ जिलों का चयन किया गया था।

निदेशालय ने राज्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए और इन्हें निर्गत करने के लिए पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार को संस्तुति की (दिसम्बर 2021)। पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने फरवरी 2022 में दिशानिर्देश निर्गत किए। इन दिशानिर्देशों का उपयोग लेखापरीक्षा के इस कार्यभार के अन्तर्गत 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में राज्य की सभी चार योजनाओं में किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड के रूप में किया गया है। प्रबंधन ने पुष्टि की (जनवरी 2025) कि राज्य योजना के दिशानिर्देश राज्य की अन्य तीन योजनाओं की सभी परियोजनाओं में भी लागू किए गए थे।

लेखापरीक्षा कार्यविधि में निम्न सम्मिलित हैं:

- विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक, पर्यटन और कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों/प्रतिनिधियों को 27 जून 2023 को आयोजित एंट्री कांफ्रेंस (केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के सम्बन्ध में) और उसके बाद 29 फरवरी 2024 को आयोजित बैठक (राज्य योजनाओं के सम्बन्ध में) में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की व्याख्या करना;
- निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं के निष्पादन का आँकलन करने के लिए अभिलेखों की संवीक्षा, आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा द्वारा प्रश्न उठाना और उनके अधिकारियों के साथ बातचीत करना;
- निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ 60 परियोजनाओं (केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत छः परियोजनाएं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित 54 परियोजनाएं) का संयुक्त भौतिक निरीक्षण;
- उत्तर प्रदेश सरकार और निदेशालय को उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर मसौदा प्रतिवेदन जारी करना; और
- उ.प्र. सरकार और निदेशालय के उत्तरों/टिप्पणियों पर एग्जिट कॉन्फ्रेंस (30 दिसम्बर 2024) में चर्चा एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए उनके विचारों/टिप्पणियों को सम्मिलित करना।

लेखापरीक्षा में बाधाएँ

4.1.5 निदेशालय ने परियोजनाओं की पहचान के लिए विभिन्न हितधारकों से परामर्श, भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाओं के चयन, विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना (डीपीपी), संकल्पनात्मक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजनाओं के पूर्ण होने से पहले और बाद में रोज़गार सृजन के सम्बन्ध में आँकड़े, प्रत्येक परियोजना का फंड-फ्लो विवरण, निगरानी समिति के बैठक

कार्यवृत्त, भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदि से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना प्रस्तुत[3] नहीं कीं जिससे लेखापरीक्षा को बाधाओं का सामना करना पड़ा। सीपीडब्ल्यूडी एवं सरयू नहर प्रभाग, सिंचाई विभाग ने भी क्रमशः वाराणसी (चरण II)[4] के विकास तथा रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत अयोध्या के विकास के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

अभिस्वीकृति

4.1.6 लेखापरीक्षा विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, उ.प्र. सरकार, निदेशालय और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता को अभिस्वीकृति प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

4.1.7 अभिलेखों की जाँच के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रेक्षण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत संरचित हैं:

- परियोजनाओं का नियोजन;
- परियोजनाओं का निष्पादन; एवं
- अनुश्रवण तंत्र तथा परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव।

परियोजनाओं का नियोजन

4.1.8 परियोजनाओं के नियोजन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

सर्वेक्षण एवं अवसंरचना अंतराल का विश्लेषण किये बिना परियोजनाओं की पहचान

4.1.8.1 स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पर्यटन मंत्रालय के टूलकिट के अनुसार तैयार किया जाएगा। टूलकिट में वर्तमान पर्यटक स्थल सम्बन्धी भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना के संदर्भ में कमी और अनुमानों की पहचान करने और डीपीआर में इसकी प्रस्तुति के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आंतरिक भागों तक पहुँच, पर्यटक सूचना केन्द्र, स्वागत केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्ट्रीट फर्नीचर, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय और प्रकाश व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और तरल), सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और साइनेज

---

[3] जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 के दौरान लेखापरीक्षा टीम द्वारा अनुरोध और अनुस्मारक जारी किए गए थे। अभिलेख प्रस्तुत न करने से सम्बन्धित मामले को इस कार्यालय के वरिष्ठ उपमहालेखाकार/एएमजी-III द्वारा 6 दिसम्बर 2023 को निदेशक, पर्यटन, उ.प्र. सरकार को एक अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से उठाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद 7 दिसम्बर 2023 को प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार सह महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र. सरकार के साथ बैठक हुई। महालेखाकार ने भी 15 दिसम्बर 2023 को अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से महानिदेशक, पर्यटन उ.प्र. सरकार के समक्ष इस विषय को उठाया।

[4] फसाड लाइटिंग के पैकेज 2 के लिए दर विश्लेषण।

सम्मिलित होंगे। प्रसाद योजना में भी अवसंरचनात्मक सुविधाएँ और सम्बन्धित कौशल में कमी की पहचान करने का भी प्रावधान किया गया था।

उ.प्र. सरकार ने परियोजनाओं के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रेषित करने हेतु 21 बिंदुओं (मई 2021 में निदेशालय द्वारा 26 बिंदुओं तक बढ़ा दिया गया) पर सूचना हेतु प्रोफार्मा निर्धारित किया (दिसम्बर 2020)। तथापि, इस प्रोफार्मा में स्थल पर वर्तमान अवसंरचना एवं सुविधाओं तथा उसके विरुद्ध पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विद्यमान अवसंरचना एवं सुविधाओं से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं माँगी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक परियोजना, यथा प्रसाद, एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत 'गोवर्धन, मथुरा का विकास', जहाँ डीपीआर में अवसंरचना में कमी का विश्लेषण सम्मिलित था, के अलावा निदेशालय ने परियोजनाओं के चयन से पहले, कोई सर्वेक्षण नहीं किया और न ही अवसंरचना में कमी का विश्लेषण किया।

इस प्रकार, सर्वेक्षण एवं अवसंरचना में कमी का विश्लेषण किए बिना उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत 82 नमूना परियोजनाओं[5] में ₹ 397.50 करोड़ (केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ: ₹ 179.15 करोड़ और राज्य योजनाएं: ₹ 218.35 करोड़) मूल्य की परिसम्पत्तियों/सुविधाओं को प्रस्तावित किया।

निदेशालय ने बाद में (फरवरी 2024), 12 चिह्नित सर्किटों के विभिन्न स्थानों पर अवसंरचना में कमियों की पहचान करने के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित की थीं। हालांकि, निविदा को रद्द कर दिया गया (मार्च 2024) और प्रतिष्ठित निविदादाताओं को आमंत्रित करने के लिए पात्रता मानदण्ड एवं स्कोर मार्किंग के लिए सख्त शर्तों के साथ पुनः निविदाएँ आमंत्रित की गयी (मार्च 2024)।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि सर्वे कराने में उच्च लागत[6] के कारण निविदाएं, रद्द कर दी गयी है और अब केवल तीन सर्किट- रामायण, कृष्ण व बौद्ध सर्किट पर अंतराल विश्लेषण के लिए निविदाएं निर्गत की जाएंगी।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि सर्वेक्षण एवं अंतराल विश्लेषण सहित प्रारंभिक अध्ययन कार्यदायी संस्था द्वारा नियुक्त परामर्शदाता द्वारा किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परामर्शदाताओं द्वारा तैयार उपरोक्त परियोजनाओं का डीपीआर/प्राक्कलनों में एक परियोजना को छोड़कर, सर्वेक्षण एवं अंतराल विश्लेषण का कोई उल्लेख नहीं था, जैसा कि पहले ही वर्णित है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

---

[5] केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत पाँच नमूना परियोजनाओं और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 77 नमूना परियोजनाओं के सम्बन्ध में वास्तविक निष्पादित मूल्य के अनुसार।

[6] प्रति सर्किट ₹ 2.5 करोड़ से ₹ 3 करोड़ तक।

परियोजनाओं के नियोजन हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना प्राप्त नहीं की गई

4.1.8.2 उ.प्र. सरकार ने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए प्रेषित परियोजनाओं के प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रोफार्मा (दिसम्बर 2020 जिसे मई 2021 में संशोधित किया गया) को निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 27 परियोजनाओं में, सम्बन्धित आरटीओ/कार्यदायी संस्थाओं से निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना प्राप्त नहीं की गई। जिससे, निदेशालय/उ.प्र. सरकार ₹ 212.18 करोड़ मूल्य की इन परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले प्रोफार्मा में अपेक्षित सूचना के आधार पर मूल्यांकन करने में विफल रहा।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 27 परियोजनाओं के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर सूचना प्राप्त करने से इन परियोजनाओं के मूल्यांकन से सम्बन्धित कोई लाभ नहीं मिलेगा।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं के नियोजन में विफलता

4.1.8.3 स्वदेश दर्शन योजना के लिए योजना दिशानिर्देशों में विषय आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास का प्रावधान किया गया था। सर्किट में कम से कम तीन प्रमुख पर्यटक स्थल शामिल होने चाहिए जो पृथक हों और जिनमें प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित हों। पर्यटक सर्किट के विकास का यह उद्देश्य किसी पर्यटक को पर्यटक सर्किट में चिह्नित अधिकांश स्थलों पर जाने हेतु प्रेरित करना था।

पर्यटकों को सर्किट के अधिकांश स्थलों पर जाने हेतु प्रेरित करने के लिए, गंतव्यों के बीच बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी मूल दिशानिर्देशों (2015) में भी यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था।

लेखापरीक्षा ने स्वदेश दर्शन के अन्तर्गत परियोजनाओं के नियोजन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- 'आध्यात्मिक थीम के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा के पर्यटन विकास' परियोजना में जेवर और बांदा के बीच की दूरी[7] 501 किलोमीटर थी जैसा कि **चित्र 4.1** में दर्शाया गया है जो ऊपर दिये गये चार्ट 4.1 में हरे रंग में दिखाए गए अन्य तीन सर्किटों की तुलना में बहुत अधिक लंबी थी:

[7] गूगल मैप के अनुसार, मथुरा, आगरा, इटावा होते हुए।

चित्र 4.1: आध्यात्मिक थीम के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकंदराबाद-नोएडा-खुर्जा-बांदा के पर्यटन विकास की परियोजना में जेवर से बांदा की दूरी

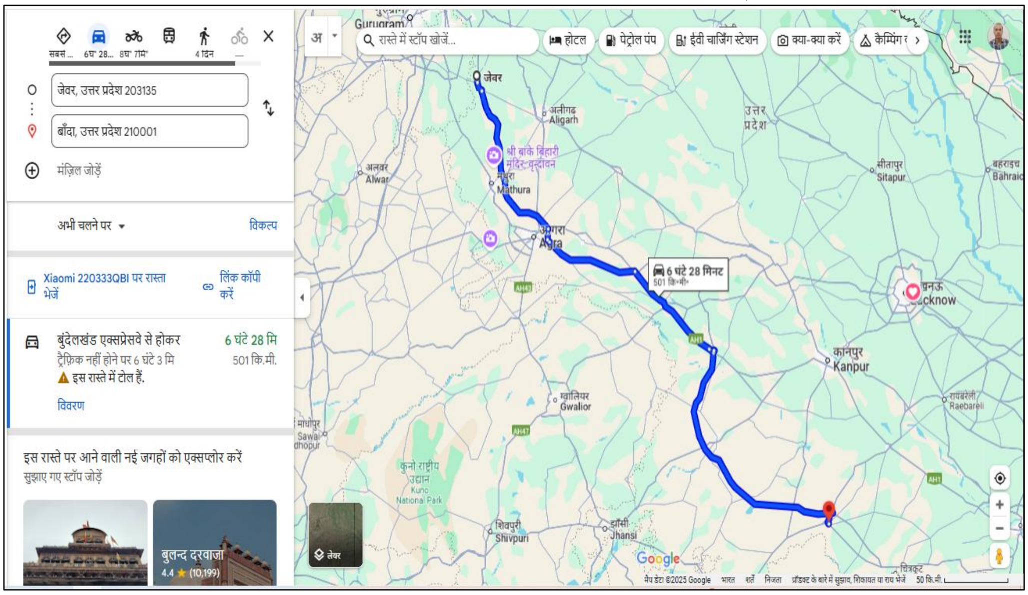

स्रोत: गूगल मैप

- निदेशालय ने एक ही पर्यटक द्वारा किसी सर्किट में शामिल स्थलों के भ्रमण के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। इस प्रकार, यह आँकलन नहीं किया जा सका कि किसी पर्यटक ने पर्यटन सर्किट में अधिकांश स्थानों का दौरा किया था अथवा नहीं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना स्थलों का चयन मंत्रालय के परामर्श से किया गया था।

तथ्य फिर भी रहता है कि निदेशालय द्वारा परियोजना का नियोजन और संस्तुति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं की गयी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

डीपीआर/प्राक्कलनों की त्रुटिपूर्ण तैयारी

4.1.8.4 लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजनाओं के डीपीआर/प्राक्कलनों त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाए गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- ***कर का त्रुटिपूर्ण प्रावधान***

स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाओं के दिशानिर्देश परियोजना की लागत का 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का प्रावधान करते थे, कार्यदायी संस्था को दिए जाने वाले सेंटेज, जीएसटी और श्रम उपकर को छोड़कर जिन्हें उ.प्र. सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रसाद योजना के अन्तर्गत वाराणसी में रिवर क्रूज के विकास की स्वीकृति के लिए जून 2017 में भारत सरकार को प्रस्तुत डीपीआर में त्रुटिपूर्ण तरीके से ₹ 44.53 लाख का कर घटक भी सम्मिलित था, जिसके परिणामस्वरुप भारत सरकार द्वारा ₹ 2.23 लाख की धनराशि परामर्श शुल्क

एवं कंटिनजेंसी के लिए अधिक स्वीकृति दी गई। इसके कारण, भारत सरकार को ₹ 46.76 लाख की अतिरिक्त परियोजना लागत स्वीकृत करनी पड़ी और उ.प्र. सरकार को सेंटेज, श्रम उपकर और ऐसे अतिरिक्त जीएसटी पर जीएसटी हेतु ₹ 11.48 लाख की लागत स्वीकृत करनी पड़ी, जिससे अधिक धन की प्रतिबद्धता करनी पड़ी।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने त्रुटिपूर्ण तरीके से परियोजना लागत में कर घटक जोड़ दिया है और वे ₹ 46.76 लाख एवं ₹ 11.48 लाख की अतिरिक्त स्वीकृतियाँ, क्रमशः पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार को वापस कर देंगे।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***बॉट आउट आइटम पर प्रदान किया गया सेंटेज***

परियोजनाओं पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते समय उ.प्र. सरकार ने बॉट आउट आइटम पर सेंटेज अनुमन्य नहीं किया था। राज्य योजना के अन्तर्गत लखनऊ में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर एवं स्वदेश दर्शन के अन्तर्गत चित्रकूट की डीपीआर के प्राक्कलन के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा चिह्नित एवं उ.प्र. सरकार द्वारा अनुमोदित बॉट आउट आइटम में गैलवानाईज्ड आयरन (जीआई टीन) शेड, डस्टबिन, सीसीटीवी, एलईडी, फव्वारा, दृश्य/प्रकाश उपकरण, ऑडियो फिक्स्चर सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सात परियोजनाओं के प्राक्कलनों में ₹ 2.68 करोड़ मूल्य के बॉट आउट आइटम के घटकों पर ₹ 29.73 लाख का सेंटेज सम्मिलित था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वदेश दर्शन एवं संग्रहालय अनुदान की केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्थाओं ने ₹ 24.51 करोड़ के बॉट आउट आइटम पर ₹ 2.70 करोड़ का सेंटेज प्रभारित किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को वसूली हेतु पत्र निर्गत कर दिए गए हैं तथा बॉट आउट आइटम पर सेंटेज न लेने के निर्देश देते हुए परिपत्र भी निर्गत कर दिए गए हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹ 2.70 करोड़ में से ₹ 0.06 करोड़ वापस करेगी तथा शेष ₹ 2.64 करोड़ पर इस आधार पर प्रतिवाद किया है कि यह बॉट आउट आइटम नहीं है। राज्य योजनाओं के सम्बन्ध में, सात परियोजनाओं में सम्मिलित चार कार्यदायी संस्थाओं में से एक कार्यदायी संस्था (यूपीसिडको) ने बताया कि बॉट आउट आइटम पर सेंटेज की धनराशि कोषागार में जमा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। अन्य कार्यदायी संस्था (यूपीपीसीएल) ने तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में बताया है कि परियोजना के अन्तर्गत सोलर

लाईट तथा हाईमास्ट की स्थापना की गयी थी, जो कि समग्र कार्य की प्रकृति के हैं तथा इन्हें आरसीसी से फिक्स करने की आवश्यकता होती है, अतः ये बॉट आउट आइटम नहीं हैं। राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अन्य तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में, कार्यदायी संस्थाओं (यूपीआरएनएन तथा यूपीएसटीडीसी) ने अपने उत्तर प्रस्तुत नहीं किये।

केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत परियोजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित वस्तुएं बॉट आउट आइटम हैं जैसा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अन्य समान प्रकृति के कार्यों के प्राक्कलनों में भी मान्य है एवं निदेशालय द्वारा स्वीकार भी किया गया है। इसके कारण, निदेशालय ने कार्यदायी संस्था को शेष सेंटेज राशि (₹ 2.64 करोड़) वापस करने का निर्देश दिया (जनवरी 2025)। कार्यदायी संस्था (यूपीपीसीएल) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीपीसीएल द्वारा निष्पादित परियोजनाओं में सीमेंट कंक्रीट/पत्थर की बेंच, आरओ वाटर कूलर एवं डस्टबिन भी शामिल थे। इसके अलावा, सोलर लाइट एवं हाई मास्ट भी दृश्य और प्रकाश उपकरणों के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत चित्रकूट की पूर्व की परियोजना में उसी संस्था द्वारा सेंटेज के लिए छोड़ दिया गया था। निदेशालय ने एक अन्य संस्था (यूपीआरएनएन) को बॉट आउट आइटम पर अमान्य सेंटेज वापस करने हेतु निर्देशित किया। निदेशालय ने यह भी आदेश निर्गत किया है (सितम्बर 2024) कि फसाड लाइटिंग, साउण्ड एण्ड लाइट शो, भवन संरक्षण, आंतरिक कार्य, भित्ति चित्र, लैंड स्केप आदि पर सेंटेज देय नहीं है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***श्रम उपकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया***

‘भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996’ (अधिनियम) की धारा 3 में नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर कम से कम एक प्रतिशत की दर से उपकर प्रभारित और संग्रह करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार द्वारा स्वीकृत (मार्च 2021) ₹ 8.60 करोड़ (जीएसटी सहित) की एक परियोजना[8] के सम्बन्ध में, कार्यदायी संस्था[9] ने ₹ 7.73 करोड़ के कार्यों की लागत पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 7.73 लाख की राशि के श्रम उपकर का प्रावधान नहीं किया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि प्राक्कलन में श्रम उपकर का प्रावधान नहीं किया गया था तथा कार्यदायी संस्था (एमवीडीए) ने ठेकेदार के बिलों से श्रम उपकर की धनराशि काट ली है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

[8] मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भवन का निर्माण/विकास कार्य।

[9] एमवीडीए।

- ***सेंटेज और श्रम उपकर की धनराशि पर जीएसटी का प्रावधान नहीं किया गया***

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम (उ.प्र. जीएसटी), 2017 की धारा 2 (31) के अन्तर्गत, प्रतिफल में प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान सम्मिलित है। उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 (2) में आगे प्रावधान है कि माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य में इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के भिन्न किसी तत्समय प्रवृत विधि के अधीन उदग्रहित कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक रूप से प्रभारित किया गया हो, सम्मिलित होंगे।

उपर्युक्त के आलोक में, प्रतिफल में कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त संपूर्ण भुगतान सम्मिलित होंगे जिसमें सेंटेज और श्रम उपकर भी सम्मिलित हैं। तदनुसार, सेंटेज और श्रम उपकर पर जीएसटी देय होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 26 परियोजनाओं के लागत प्राक्कलनों में सेंटेज (₹ 8.84 करोड़) एवं श्रम उपकर (₹ 0.71 करोड़) की धनराशि पर जीएसटी सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलनों में जीएसटी के लिए ₹ 1.15 करोड़ का कम प्रावधान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-4.3** में दर्शाया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस ((दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने बताया कि जीएसटी विभाग से निर्देश मांगे गए हैं। अपने उत्तर में, निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग (पीएफएडी), वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार सेंटेज पर जीएसटी को स्वीकृत नहीं करता है। प्रकरण आयुक्त, जीएसटी, उ.प्र. सरकार को भेजा गया है (दिसम्बर 2024)। हालांकि, श्रम उपकर पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उ.प्र. स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में एडवांस रूलिंग के लिए प्राधिकरण ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 98 (4) और यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 98 (4) के अधीन अपने आदेश द्वारा (मई 2021) स्पष्ट किया है कि सेंटेज और श्रम उपकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कर योग्य है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***साइनेज का प्रावधान नहीं किया गया***

पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने इस बात पर जोर दिया (दिसम्बर 2020) कि साइनेज के अभाव में पर्यटन विभाग की ब्रांडिंग सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 38 नमूना परियोजनाओं के प्राक्कलनों में साइनेज की स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि साइनेज के लिए एक अलग शीर्ष बनाया गया है। अपने उत्तर (जनवरी 2025) में निदेशालय ने बताया कि एक अलग शीर्ष यथा 'साइनेज की व्यवस्था' बनाया गया है और आवश्यकतानुसार साइनेज लगाए गए हैं। इसलिए, साइनेज के घटक को परियोजना के प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त 38 परियोजनाओं में साइनेज पर कोई व्यय नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, साइनेज के अभाव में, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की पर्यटक सुविधा एवं ब्रांडिंग अपेक्षित सीमा तक प्राप्त नहीं की जा सकी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं का नियोजन, सर्वेक्षण और अवसंरचना में कमी का विश्लेषण तथा दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू अधिनियमों/सरकारी आदेशों/योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप डीपीआर/प्राक्कलन तैयार किए जाएं।

परियोजनाओं का निष्पादन

4.1.9 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

अनुचित निधि प्रबंधन

4.1.9.1 लेखापरीक्षा ने निधियों के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

क. केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में निधि प्रबंधन की कमियाँ

- ***कंटिनजेंसी के लिए अधिक मांग***

स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं में कंटिनजेंसी के लिए तीन प्रतिशत का प्रावधान सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट (दिसम्बर 2021) के अनुसार, कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने प्रावधानित दर पर कंटिनजेंसी के लिए ₹ 98.77 लाख प्रभारित किये, यद्यपि इसने कोई कंटिनजेंसी व्यय नहीं किया।

अपने उत्तर (जनवरी 2025) में निदेशालय ने बताया कि कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने ₹ 86.73 लाख की धनराशि वापस करने की सहमति दे दी है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

- ***जीएसटी के लिए भारत सरकार की निधियों का अनियमित उपभोग***

स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं पर जीएसटी का वहन उ.प्र. सरकार द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं में, कार्यदायी संस्थाओं ने परामर्शदाताओं और ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर जीएसटी के रूप में ₹ 2.91 करोड़ का भुगतान किया (**परिशिष्ट-4.4**)। यद्यपि, यह व्यय उ.प्र. सरकार की निधि से किया जाना था, लेकिन निदेशालय ने भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्टों में अनियमित रूप से इसे भारत सरकार की निधि पर प्रभारित किया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) में उ.प्र. सरकार ने बताया कि कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस में दिया गया उत्तर इस विषय से सम्बन्धित नहीं है। कार्यदायी संस्था द्वारा जीएसटी का भुगतान और उसकी मांग की जानी थी। निदेशालय को यह सुनिश्चित करना था कि इस धनराशि का दावा भारत सरकार के बजाय उ.प्र. सरकार से किया जाए।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***उ.प्र. सरकार द्वारा सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी हेतु निधि अधिक संस्वीकृत करना।***

केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी के लिए व्यय उ.प्र. सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर के विकास परियोजना के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर के कार्य के प्रकरण में, कार्य की वास्तविक लागत (जनवरी 2020) ₹ 21.14 करोड़ के आधार पर ₹ 5.40 करोड़ की गणना के बजाय, कार्य की स्वीकृत लागत ₹ 23.02 करोड़ के आधार पर गणना की गई सेंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी के लिए ₹ 5.93 करोड़ की धनराशि का निदेशालय ने प्रस्ताव (फरवरी 2020) दिया और उ.प्र. सरकार ने धनराशि स्वीकृत (फरवरी 2021) की।

वाराणसी में रिवर क्रूज़ बोट के विकास की एक अन्य परियोजना में निदेशालय ने आवंटित लागत (फरवरी 2019) ₹ 9.81 करोड़ के आधार पर ₹ 2.11 करोड़ की गणना के स्थान पर ₹ 10.21 करोड़, जो प्रस्ताव के समय कार्यशील परियोजना की कार्य की स्वीकृत लागत थी, के आधार पर ₹ 2.63 करोड़ की

धनराशि के सैंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी का प्रस्ताव दिया (मार्च 2020) और उ.प्र. सरकार ने स्वीकृति (फरवरी 2021) दी।

इस प्रकार, उ.प्र. सरकार ने कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यकता से अधिक ₹ 1.05 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार को सैंटेज, श्रम उपकर और जीएसटी की अधिक धनराशि को वापस कर दिया जाएगा और यह प्रक्रियाधीन है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

ख. राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन में निधि प्रबंधन की कमियाँ

- ***उ.प्र. सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन***

वित्त विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में प्रावधान किया गया था कि वित्तीय वर्ष की अवधि में अनुमानित खर्च को जहाँ तक संभव हो, इसे चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक माह में समान व्यय किया जाये। यह निर्दिष्ट था कि कोषागार से एकमुश्त आहरण राज्य की नकदी प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उ.प्र. सरकार ने अग्रेतर निर्दिष्ट किया है कि अंतिम तिमाही और अंतिम माह में कुल बजट प्रावधान की क्रमशः 30 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से अधिक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि में मासिक पूँजीगत व्यय वार्षिक बजट के शून्य प्रतिशत से लेकर 36.76 प्रतिशत तक था। वर्ष 2020-21, 2022-23 और 2023-24 की अवधि में अंतिम माह का व्यय, वार्षिक बजट का क्रमशः 35.06 प्रतिशत, 36.76 प्रतिशत और 30.62 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21, 2022-23 और 2023-24 की अंतिम तिमाही की अवधि में त्रैमासिक व्यय, वार्षिक बजट का क्रमशः 38.50 प्रतिशत, 51.29 प्रतिशत और 50.57 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ।

अपने उत्तर में निदेशालय ने स्वीकार किया (जनवरी 2025) कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय होता है। विभाग परियोजनाओं के सम्बन्ध में आगामी वित्तीय वर्ष में सक्रिय कार्रवाई कर रहा है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

- ***कार्यदायी संस्थाओं को निधि प्रेषित करने में अनियमितताएं***

लेखापरीक्षा ने कार्यदायी संस्थाओं को निधि प्रेषित करने में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

(i) निविदाएं आवंटित किये जाने से पूर्व किश्तों का जारी करना: पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देशों

(फरवरी 2022) में यह निर्दिष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबंध समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, निदेशालय, कार्यदायी संस्था को कुल निविदा मूल्य का 40 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में निर्गत करेगा। पहली किश्त के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग के बाद 40 प्रतिशत की दूसरी किश्त निर्गत की जाएगी। तदनुसार, 15 प्रतिशत की तीसरी किश्त निर्गत की जाएगी। शेष 5 प्रतिशत को कार्य पूर्ण/हस्तांतरण होने से एक वर्ष के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के बाद निर्गत किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच परियोजनाओं में निदेशालय ने मार्च 2022 से मार्च 2023 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों को सम्बन्धित निविदाएं आवंटित किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 58.50 लाख की किश्तें निर्गत कीं, जैसा कि **परिशिष्ट-4.5** में वर्णित है। अग्रेतर, एक परियोजना[10] के प्रकरण में, निदेशालय ने ₹ 36.93 लाख की कुल परियोजना लागत (जीएसटी को छोड़कर) और ₹ 34.20 लाख की निविदा लागत के विरुद्ध पहली किश्त में ही ₹ 32 लाख की धनराशि निर्गत की। निर्गत की गई धनराशि निविदा लागत के निर्धारित प्रतिशत (40 प्रतिशत) से अधिक थी और पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार के दिशानिर्देशों (फरवरी 2022) के विपरीत थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि सामान्य प्रक्रिया में संस्थाओं को निविदा जारी करने और कार्य प्रारम्भ करने हेतु धनराशि निर्गत की जाती है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परियोजना में कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण कार्यदायी संस्थाओं ने निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसे देखते हुए अग्रिम धनराशि के रूप में एक किश्त निर्गत की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशालय द्वारा की गई कार्यवाही पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत थी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

(ii) डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड हेतु धनराशि को रोके बिना अंतिम किश्त निर्गत करना: निदेशालय ने अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि में पाँच परियोजनाओं में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए निविदा राशि का पाँच प्रतिशत जैसा कि उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत (फरवरी 2022) राज्य योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित था से कम धनराशि रोकते हुए जो कुल ₹ 1.11 करोड़ थी जैसा कि **परिशिष्ट-4.6** में वर्णित है, आखिरी और अंतिम किश्त निर्गत की।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उपरोक्त पाँच परियोजनाओं में से तीन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जून 2024 से

[10] समय माता स्थल, शक्ति धाम आश्रम, हैसर बाजार, संत कबीर नगर का विकास कार्य।

फरवरी 2025 की अवधि में पूरी हो गई है। अन्य दो परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, यद्यपि उल्लिखित तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में डी एल पी की अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु निदेशालय द्वारा अपने दिशानिर्देशों में उल्लिखित डीएलपी के लिए धनराशि को रोककर रखने में प्रणालीगत विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निदेशालय ने अपनी प्रणाली में सुधार के विषय पर कुछ नहीं कहा है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

(iii) सहायक दस्तावेजों को सुनिश्चित किए बिना जीएसटी के लिए राशि का प्रेषण और जीएसटी कम जमा किया जाना: उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 में प्रावधान है कि सेवाओं पर कर का भुगतान करने की देयता आपूर्ति के समय उत्पन्न होगी, जो कि (ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा चालान निर्गत करने की तारीख, यदि चालान धारा 31 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर निर्गत किया जाता है या भुगतान की प्राप्ति की तारीख, जो भी पहले हो; या (बी) सेवा के प्रावधान की तारीख, यदि चालान धारा 31 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अंदर निर्गत नहीं किया जाता है या भुगतान की प्राप्ति की तारीख, जो भी पहले हो।

निदेशालय कार्य निष्पादन के लिए कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अग्रिम में निर्गत करता है। तदनुसार, उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, कार्यदायी संस्थायें अग्रिम धनराशि प्राप्त होने पर जीएसटी जमा करने हेतु उत्तरदायी है।

अग्रेतर, उ.प्र. सरकार द्वारा सम्बन्धित परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों में प्रावधान किया गया था कि कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान के आधार पर जीएसटी अनुमन्य किया जायेगा, जिसके लिए कार्यदायी संस्थाओं को निदेशालय के माध्यम से जीएसटी भुगतान का तिथिवार विवरण और जीएसटी चालान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय ने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सात परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए फरवरी 2021 से मार्च 2024 की अवधि में कार्यदायी संस्था यथा उ.प्र. जल निगम के कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ (सी एण्ड डी एस) विंग को किश्तों में ₹ 75.24 करोड़ की धनराशि निर्गत की। उ.प्र. जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अनुसार, कार्यदायी संस्था को सम्बन्धित प्राप्तियों के समय कर प्राधिकारी को ₹ 9.91 करोड़ की जीएसटी राशि जमा करनी थी। यद्यपि, कार्यदायी संस्था ने कर प्राधिकारी को जीएसटी जमा नहीं किया, बल्कि पाँच परियोजनाओं में गणना के आधार पर (₹ 2.98 करोड़) और दो परियोजनाओं यथा 'महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौर झील, बहराइच का विकास' तथा 'हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर

में ग्राम पंचायत पूंठ एवं आलमनगर में पर्यटन विकास कार्य' में ठेकेदार को किए गए भुगतान के आधार पर (₹ 4.89 करोड़) निदेशालय से ₹ 7.87 करोड़ के जीएसटी की मांग की गयी, जो कि निदेशालय द्वारा जारी कर दिया गया। इस प्रकार, कार्यदायी संस्था ने ₹ 2.4 करोड़ **(परिशिष्ट-4.7)** के बराबर सरकारी राजस्व के रूप में जीएसटी कम जमा किया (अधिकांशतः सेंटेज और श्रम उपकर पर जीएसटी का भुगतान न करने के कारण)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उपरोक्त सात परियोजनाओं में से पाँच परियोजनाओं ('महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण और चित्तौर झील, बहराइच का विकास' और 'हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम पंचायत पूंठ और आलमनगर में पर्यटन विकास कार्य' की दो परियोजनाओं को छोड़कर) में निदेशालय ने कार्यदायी संस्था से भुगतान के सहायक दस्तावेज प्राप्त किए बिना, गणना के आधार पर जीएसटी के लिए ₹ 2.98 करोड़ की धनराशि सी एण्ड डीएस को अवमुक्त की।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि पूर्व में वे वाउचर और भुगतान की प्रतियाँ प्राप्त करके व्यापक जाँच कर रहे थे, किन्तु बाद में कार्यदायी संस्थाओं के इस आग्रह पर इसे समाप्त कर दिया गया कि उ.प्र. सरकार के आदेश के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को सभी कोडल प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। अतः सम्बन्धित भुगतान अवमुक्त करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं से इस आशय का एक शपथ पत्र ले लिया गया था। कार्यदायी संस्था द्वारा जीएसटी के कम जमा के मुद्दे पर, उ.प्र. सरकार ने बताया कि उन्हें अभी तक सी एण्ड डी एस से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि एक कार्यदायी संस्था (यूपीपीसीएल) द्वारा जीएसटी जमा करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी एण्ड डी एस द्वारा जीएसटी कम जमा करने के मुद्दे पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

यूपीपीसीएल द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किया गया और इससे यह तथ्य और अधिक पुष्ट होता है कि भुगतान अवमुक्त करने से पहले सी एण्ड डी एस से भी इसी प्रकार के अभिलेख प्राप्त किए जाने चाहिए थे।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

ग. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निधि प्रबंधन में कमियाँ

- ***गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना***

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत नौ परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं ने सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उनके द्वारा किए गए ₹ 68.28 करोड़ के वास्तविक व्यय के सापेक्ष ₹ 85.46 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, इन संस्थाओं ने उपरोक्त नौ परियोजनाओं **(परिशिष्ट-4.8)** के सम्बन्ध

में नवम्बर 2021 से मार्च 2024 की अवधि में ₹ 17.18 करोड़ अधिक की गलत उपयोगिता प्रस्तुत की।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि प्रकरण की जाँच चल रही है और कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि एक परियोजना[11] के सम्बन्ध में, कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने बताया कि परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर लिया गया है। अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रबंधन ने कोई टिप्पणी नहीं की।

निदेशालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था ने नवम्बर 2022 में प्रस्तुत ₹ 7.50 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के सापेक्ष परियोजना पर ₹ 5.74 करोड़ का व्यय किया था।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का उपयोग, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हो। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/उ.प्र. सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

ई-टेंडरिंग के बिना कार्य का क्रियान्वयन

4.1.9.2 स्वदेश दर्शन के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को सभी निविदाओं के लिए अनिवार्य ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट सहित सभी अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक था।

अग्रेतर, निर्माण कार्यों/जॉब वर्क्स तथा सामग्री क्रय में पारदर्शिता, स्वच्छ प्रशासन एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों एवं स्वायत्त निकायों में ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली/ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू करने के लिए निर्देशित (मई 2017) किया गया था। उ.प्र. सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते समय भी इस बात को दोहराया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए छः कार्यदायी संस्थाओं ने केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 17.29 करोड़ की लागत की तीन परियोजनाओं (**परिशिष्ट-4.9)** में बिना ई-टेंडरिंग के परामर्शदाता नियुक्त किये/कार्य सम्पादित कराये। ये कार्य क्वोटेशन प्राप्ति/नामांकन के आधार पर क्रियान्वित किये गये।

[11] अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) का विकास।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि प्रकरण की जाँच की जा रही है और कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि ई-टेंडरिंग के बिना कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

4.1.9.3 स्वदेश दर्शन, प्रसाद और संग्रहालय अनुदान योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के स्वीकृति पत्रों में दस से 36 माह की पूर्णता अवधि प्रदान की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय द्वारा कार्यान्वित सभी 12 परियोजनाएँ छः माह से लेकर 44 माह के विलम्ब से पूर्ण/प्रगति में थी (मई 2024 तक), जैसा कि **परिशिष्ट-4.10** में वर्णित है।

राज्य क्षेत्र योजना हेतु उ. प्र. सरकार के दिशानिर्देशों (फरवरी 2022) में प्रावधान किया गया है कि परियोजना की पूर्णता अवधि सम्बन्धित परियोजना के स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी। निदेशालय ने परियोजनाओं के विभिन्न लागत श्रेणियों के लिए नौ माह से लेकर 24 माह तक की निर्धारित कार्य पूर्ण करने की तिथि (जनवरी 2024) की थी।

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 77 नमूना परियोजनाओं के विश्लेषण से विदित हुआ कि उपरोक्त समय-सीमा के आधार पर 46 पूर्ण परियोजनाएं एक माह से लेकर 22 माह तक की अवधि के लिए विलंबित थीं, जिसका विवरण **परिशिष्ट-4.11** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने निष्पादन में विलम्ब के निम्नलिखित कारणों का विश्लेषण किया:

- ***कार्यदायी संस्था के चयन में विलम्ब***

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः नमूना परियोजनाओं में से चार[12] में, भारत सरकार ने प्रारंभ में यूपीएसटीडीसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया था। बाद में, उ.प्र. सरकार ने परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि से एक से नौ माह की अवधि बीत जाने के बाद इन चार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अन्य संस्थाओं[13] को नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन)

[12] एक परियोजना यथा वाराणसी का विकास (चरण II) को छोड़कर जिसके लिए यूपीआरएनएन को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया था। एक अन्य परियोजना यथा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी, अयोध्या, फैजाबाद में डिजिटल रामायण गैलरी (डिजिटल इंटरवेंशन) का विकास, परियोजना की स्वीकृति के समय कोई कार्यदायी संस्था नियुक्त नहीं की गई थी।

[13] यूपीआरएनएन, यूपीपीसीएल एवं एमवीडीए।

के विकास के मामले में, उ.प्र. सरकार ने मार्च 2022 में कार्यदायी संस्था का चयन किया, जो परियोजना की स्वीकृति (फरवरी 2019) के 36 माह बाद था और कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार को कार्य दिए जाने (जुलाई 2020) के 20 माह बाद था।

- ***ठेकेदारों को कार्य दिए जाने में कार्यदायी संस्था द्वारा लिया गया समय***

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत छः परियोजनाओं तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 49 परियोजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं ने उनके नामित होने की तिथि से तीन माह से 42 माह तक का समय ठेकेदारों को कार्य दिए जाने में लिया।

- ***ठेकेदारों द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब***

कार्यदायी संस्थाओं ने केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं/ परियोजनाओं के घटकों के लिए निविदाओं में ठेकेदारों को दो माह से 24 माह तक की पूर्णता अवधि निर्धारित की थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पाँच परियोजनाओं तथा राज्य योजना के अन्तर्गत 47 परियोजनाओं में ठेकेदारों द्वारा कार्य को उनकी निर्धारित कार्य पूर्ण होने की तिथि से दो माह से 43 माह तक के विलम्ब से निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स ((दिसम्बर 2024) में, उ.प्र. सरकार ने बताया कि कार्यदायी संस्था को माननीय मंत्री द्वारा नामित किया जाता है। निविदा में विलम्ब के सम्बन्ध में, कभी-कभी निविदाएं प्राप्त नहीं होती हैं और उन्हें फिर से निविदा करनी पड़ती है। जहाँ तक निष्पादन का प्रश्न है, कार्यदायी संस्थाएं अति विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण पीईआरटी चार्ट का पालन नहीं कर पा रहीं हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया जाता है। कार्यों में विलम्ब का कारण, राज्य की अति विषम जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए सीमित निष्पादन समय, कुछ स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) समय पर न मिल पाना, प्रशासनिक और संविदात्मक मुद्दे, विचलन की स्वीकृति मिलने में विलम्ब और कोविड महामारी थे। कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना स्वीकृति के पश्चात निविदा प्रक्रिया को निर्धारित समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण के लिए पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जहाँ सभी परियोजनाओं की प्रगति की सूचना कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से जियोटैग्ड छायाचित्र के साथ अद्यतन की जा रही है।

निदेशालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित अवधि तय करते समय अति विषम मौसम की स्थिति के कारक पर विचार किया जाना चाहिए था। विभिन्न हितधारकों जैसे एएसआई, राजस्व विभाग, वन विभाग आदि को परियोजनाओं के चयन में सम्मिलित किया जाना चाहिए था जिससे एनओसी प्राप्त करने में विलम्ब/अस्वीकृति और वांछित स्थल की अनुपलब्धता के कारण परियोजना में विचलन से बचा जा सके। उ.प्र. सरकार को भी कार्यदायी संस्था के चयन में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए था। निदेशालय ने अनुश्रवण के लिए पोर्टल के कार्यान्वयन की तिथि/ माह प्रस्तुत नहीं किया।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2025) है।

संस्तुति:

उ.प्र. सरकार को स्वीकृति आदेश में परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।

निजी ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि पर कार्यों का कार्यान्वयन

4.1.9.4 स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के योजना दिशानिर्देश और स्वीकृति पत्रों में निजी व्यक्ति या ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि/संपत्ति पर परियोजना के किसी भी हिस्से को निष्पादित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि/संपत्ति पर निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए गए:

- प्रसाद योजना के अन्तर्गत गोवर्धन, मथुरा के विकास के परियोजना में, सूर श्याम सेवा संस्थान, सूरकुटी, परसौली, गोवर्धन, एक निजी संस्था के स्वामित्व वाली भूमि पर पुस्तकालय, एवं व्याख्या केन्द्र के निर्माण, पुस्तकालय एवं व्याख्या केन्द्र की छत पर सोलर संयंत्र तथा द्वार एवं संबद्ध कार्यों के कार्यान्वयन में ₹ 4.89 करोड़ व्यय किया गया।
- स्वदेश दर्शन योजना के बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट-श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु के विकास की परियोजना में, ₹ 5.66 लाख की लागत से तीन सोलर हाई मास्ट प्रकाश व्यवस्था (चार भुजा वाली सोलर लाइट) का निर्माण, शिव मंदिर और बिड़ला धर्मशाला में किया गया, जो कि बिड़ला मंदिर ट्रस्ट, एक निजी ट्रस्ट के स्वामित्व में है और कुशीनगर में शिव मंदिर और बिड़ला धर्मशाला तथा श्रीलंका मंदिर ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि पर अंतिम छोर संयोजकता के लिए सड़क का निर्माण किया गया है, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी देखा गया और **छायाचित्र 4.1** में दर्शाया गया है।

छायाचित्र 4.1

बिड़ला मंदिर, कुशीनगर में अंतिम छोर संयोजकता और सोलर लाइट का निर्माण	**श्रीलंका मंदिर, कुशीनगर में अंतिम छोर संयोजकता का निर्माण**

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संगठनों के मामलों में, पर्यटक सुविधा के लिए कार्य करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ये संगठन एनओसी देते हैं।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कुशीनगर में सोलर प्रकाश और अंतिम छोर संयोजकता का कार्य यूपीआरएनएन ने जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार और पर्यटकों की सुविधा के लिए किया है। यह भी बताया कि ये सार्वजनिक ट्रस्ट हैं। दूसरी कार्यदायी संस्था (एमवीडीए) का उत्तर प्रतीक्षित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये संस्थान निजी निकायों के स्वामित्व में हैं और निदेशालय को योजनाओं के नियम व शर्तों के अनुसार स्थलों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

पंजीकृत समितियों की भूमि पर निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जाना

4.1.9.5 उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्गत (फरवरी 2022) दिशानिर्देशों में परियोजना का प्रस्ताव भेजने से पहले सरकार या पंजीकृत समिति/ट्रस्ट के स्वामित्व वाली बाधामुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें निजी भूमि पर कोई भी व्यय करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उ.प्र. सरकार ने परियोजना प्रस्ताव के साथ भेजी जाने वाली सूचना हेतु 20-बिन्दु प्रोफार्मा (मई 2021 में निदेशालय द्वारा बढ़ाकर 26 बिन्दु कर दिया गया) निर्धारित किया (दिसम्बर 2020) था, जिसमें स्थल के स्वामी की सूचना के साथ-साथ समिति/ट्रस्ट पंजीकृत या परम्परागत है, का भी उल्लेख करना आवश्यक था।

इसमें परियोजना में स्वामी से उनके भूमि पर प्रस्तावित निर्माण के लिए सहमति प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी 2021 से मार्च 2023 के दौरान राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित ₹ 29.81 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली 23 परियोजनाओं के प्रकरण में, निदेशालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भूमि पंजीकृत समितियों के स्वामित्व में थी क्योंकि दो प्रकरणों में प्रस्तुत प्रोफार्मा में यह उल्लिखित था कि भूमि का स्वामित्व रखने वाली समिति परम्परागत थी जबकि अन्य 21 प्रकरणों में निजी भू-स्वामियों द्वारा पत्र शीर्ष/सादे कागज पर प्रस्तुत सहमति पत्रों में समिति की पंजीकरण संख्या का कोई उल्लेख नहीं था जैसा कि **परिशिष्ट-4.12** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

उपरोक्त 23 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मार्च 2024 से जून 2024), जहाँ निदेशालय द्वारा समिति का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था तथा परिसम्पत्तियों को नवम्बर 2021 से जून 2022 की अवधि के दौरान संचालन एवं रख-रखाव के लिए सम्बन्धित भू-स्वामियों को सौंप दिया गया था, में परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों पर ताले लगे पाए गए। दो अन्य प्रकरणों में, परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित धर्मशालाओं का उपयोग अनाज या सीमेंट की बोरियों के भण्डारण के लिए किया जा रहा था।

उपरोक्त प्रकरण इस बात के संकेत हैं कि ये परिसम्पत्तियाँ सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थीं। ऐसी ही कुछ परियोजनाओं के छायाचित्र नीचे दिए गए हैं:

छायाचित्र 4.2

ऐतिहासिक तालाब, विश्याहन्नु/विशरापार, संत कबीर नगर में बंद शौचालय	**पांडेय पोखरा, मरवटिया बालाजी महाराज में बंद शौचालय**

बस्ती के सेवई डीह शिव स्थल में निर्मित धर्मशाला में रखी सीमेंट की बोरियाँ	**बनवासी आश्रम और हनुमान स्थल, खजनी, गोरखपुर में निर्मित धर्मशाला में अनाज का भण्डारण**

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि वह भू-स्वामी का पंजीकृत समिति होना सुनिश्चित करने में विफलता के प्रकरण की जाँच करेगी। उ.प्र. सरकार ने आदेश निर्गत किया है कि समिति, कार्यदायी संस्था और निदेशालय के मध्य त्रिपक्षीय समझौते के तहत परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। निदेशालय ने बताया कि जहाँ समितियाँ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि भविष्य में, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन उ.प्र. सरकार के आदेश (सितम्बर 2024) के माध्यम से समिति/ट्रस्ट/ग्राम सभा द्वारा संचालन और रख-रखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौता करके सुनिश्चित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता भी समिति के पंजीकरण को सुनिश्चित नहीं करता है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संचालन और रख-रखाव की अस्वीकार्य लागत

4.1.9.6 राज्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्गत दिशानिर्देश (फरवरी 2022) यह प्रावधानित करते थे कि विभाग परियोजनाओं के संचालन और रख-रखाव पर आवर्ती व्यय नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार द्वारा एक परियोजना[14] के लिए ₹ 7.67 करोड़ की स्वीकृति दी गयी (फरवरी 2023), जिसमें 2022-23 से 2028-29 तक सात वर्षों की अवधि के दौरान रख-रखाव के लिए ₹ 1.48 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने बताया कि अस्वीकृत कार्य के विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा।

[14] राज्य योजना के तहत सौभरी सिटी फॉरेस्ट, मथुरा (फेज-II) की स्थापना।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का उत्तर प्रतीक्षित है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

नियोजित विशिष्टियों से कम स्तर वाले उपकरणों की स्थापना

4.1.9.7 लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत सिंगल आर्म और फोर आर्म वाली सोलर लाइट्स (हाई मास्ट) में 50 वाट के लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी) के प्रावधान के विरुद्ध 'रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर के विकास' में श्रृंगवेरपुर में तथा 'बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अन्तर्गत श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु के विकास' में कुशीनगर और श्रावस्ती में 197 सिंगल/फोर आर्म सोलर लाइटों में से 52 सिंगल/फोर आर्म सोलर लाइटों में 12 से 40 वाट की एलईडी स्थापित की गई, जैसा कि नीचे **तालिका 4.2** में संक्षेप में बताया गया है:

तालिका 4.2: कम वाट क्षमता के साथ स्थापित एलईडी का विवरण

परियोजना स्थल	विवरण	कुल स्थापित एलईडी की संख्या	कम वाट क्षमता की स्थापित की गयी एलईडी	
			संख्या	वाटेज
कुशीनगर	सिंगल आर्म	71	-	-
	फोर आर्म/हाई मास्ट	15	15	40
श्रावस्ती	सिंगल आर्म	74	-	-
	फोर आर्म/ हाई मास्ट	9	9	40
श्रृंगवेरपुर	सिंगल आर्म	10	10	12
	सिंगल आर्म	6	6	40
	फोर आर्म/ हाई मास्ट	3	3	24
	फोर आर्म/ हाई मास्ट	9	9	40
योग		**197**	**52**	

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने बताया कि वे कार्यदायी संस्थाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने जा रहे हैं एवं आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) को सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक की जिम्मेदारी तय करने और आगामी परियोजनाओं में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया (दिसम्बर 2024) गया है। यूपीपीसीएल द्वारा किये गये कार्यों के लिए उत्तर लम्बित था।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ

4.1.9.8 लेखापरीक्षा ने परियोजनाओं के निष्पादन में ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ के निम्नलिखित प्रकरण देखे:

- ***ठेकेदारों को जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान***

राज्य योजनाओं के अन्तर्गत दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में यूपीएसटीडीसी द्वारा ठेकेदारों को दिए गए चार अनुबंधों की शर्तों में प्रावधान था कि दरें जीएसटी और उपकर सहित थीं। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसटीडीसी ने, स्वीकृति पत्र जारी करते समय निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरों पर अनियमित रूप से जीएसटी का अलग से प्रावधान किया।

इस प्रकार, यूपीएसटीडीसी ने चार ठेकेदारों को ₹ 19.08 करोड़ के स्वीकृत मूल्य पर ₹ 3.44 करोड़ मूल्य के जीएसटी के अतिरिक्त भुगतान की प्रतिबद्धता करके अनुचित लाभ पहुंचाया। ये कार्य प्रगति पर हैं। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उपरोक्त प्रतिबद्धताओं में से, यूपीएसटीडीसी ने अब तक (अप्रैल 2024) ठेकेदारों को ₹ 1.20 करोड़ मूल्य के जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान (₹ 6.64 करोड़ के भुगतान पर) किया है।

निदेशालय एवं उ.प्र. सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2025)।

- ***अनुबंध के दोषपूर्ण नियम व शर्तों के कारण सहायता शुल्क का अग्रिम भुगतान***

पंचकोसी परिक्रमा यात्रा मार्ग, वाराणसी में समग्र पर्यटन विकास कार्यों के लिए पाँच परियोजनाओं[15] के सम्बन्ध में स्थलों एवं इनकी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में दिशात्मक सूचना प्रदान करने के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और क्यूआर कोड के विकास हेतु कुल ₹ 2.39 करोड़ के मूल्य पर क्रय आदेश निर्गत किया गया था जिसमें ₹ 0.42 करोड़ की लागत एप्लीकेशन सॉफ्टवेर के लिए सहायता शुल्क के रूप में इसके गो-लाइव होने के बाद पाँच वर्ष के लिए सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भुगतान माइलस्टोन ठेकेदार के पक्ष में इस प्रकार संरचित किए गए थे कि कुल अनुबंध मूल्य का 15 प्रतिशत की चौथी और अंतिम किशत जो कि ₹ 0.36 करोड़ थी 'सफल गो-लाइव पर' देय थी, यद्यपि इसके गो-लाइव होने के बाद पाँच वर्ष का रख-रखाव, अभी निष्पादित होना था। परियोजना जून 2023 में 'गो-लाइव' हो गई एवं कार्यदायी संस्था ने अक्टूबर 2023 में ठेकेदार को ₹ 0.36 करोड़ की चौथी एवं अंतिम किस्त का भुगतान किया। इस प्रकार, जून 2023 से पाँच वर्ष के लिए ₹ 0.42 करोड़ के सहायता शुल्क का भुगतान भी अग्रिम किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान, उ.प्र. सरकार ने प्रकरण को यूपीपीसीएल (कार्यदायी संस्था) को भेजा, तथापि वह इस प्रकरण पर कोई और तथ्य नहीं जोड़ सका।

---

[15] उ.प्र. सरकार द्वारा जनवरी 2022 में प्रत्येक पाँच पड़ाव यथा कंडवा, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर, कपिलधारा के लिए अलग परियोजना स्वीकृत।

अपने उत्तर में निदेशालय ने कार्यदायी संस्था के उत्तर का सन्दर्भ दिया (जनवरी 2025)। कार्यदायी संस्था ने बताया कि परियोजना में एप्लिकेशन सहायता के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान नहीं था। अग्रेतर, ठेकेदार द्वारा रख-रखाव करने में विफल होने की स्थिति में, अनुबंध मूल्य का तीन प्रतिशत, ₹ 7.18 लाख की धनराशि निष्पादन गारण्टी के रूप में रखी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय आदेश में पाँच वर्ष के सहायता के लिए धनराशि निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 7.18 लाख की निष्पादन गारण्टी धनराशि पाँच वर्ष के लिए सहायता लागत की भरपाई करने के लिए अपर्याप्त है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

- ***लिक्विडेटेड डैमेजेज आरोपित करने में विफलता***

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न घटकों के लिए नियुक्त ठेकेदारों पर उनके सम्बन्धित अनुबन्धों के अनुसार लागू दरों पर लिक्विडेटेड डैमेजेज (एलडी) के आरोपण के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 12 परियोजनाओं के सम्बन्ध में 15 कार्यों/घटकों में इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदारों ने कार्य पूर्ण करने में विलम्ब किया एवं कोई समय विस्तार नहीं दिया गया, कार्यदायी संस्थाएँ चार करोड़ की एलडी धनराशि का आरोपण तथा उसको वसूलने में विफल रहीं जैसा कि **परिशिष्ट-4.13** में वर्णित है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) को जुर्माना/एलडी आरोपित करने और उ.प्र. सरकार को धनराशि वापस करने का निर्देश दिया गया है (दिसम्बर 2024)। कार्यदायी संस्था का उत्तर प्रतीक्षित है।

अग्रेतर, निदेशालय द्वारा तीन अन्य कार्यदायी संस्थाओं (यूपीपीसीएल, सी एण्ड डी एस और यूपीसिडको) द्वारा निष्पादित परियोजनाओं पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

जीएसटी का अधिक भुगतान

4.1.9.9 भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना[16] (अक्टूबर 2017) के माध्यम से वाणिज्य, उद्योग या किसी अन्य व्यवसाय या पेशे के अलावा मुख्य रूप से अन्य उपयोग के लिए सरकारी निकाय को प्रदान की जाने वाली कार्य संविदा सेवाओं के सम्बन्ध में जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया, बशर्ते कि ऐसी सेवाएँ उक्त निकाय द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य

[16] 39/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017 और 31/2017- केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017।

सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए कार्य के सम्बन्ध में प्राप्त की जाती हैं। तथापि उपरोक्त सेवाओं के सम्बन्ध में 12 प्रतिशत की दर को वापस ले लिया गया और 18 प्रतिशत से बदल[17] दिया गया (दिसम्बर 2021)।

कार्यदायी संस्थाएं, यथा यूपीआरएनएन और यूपीपीसीएल, उपरोक्त आदेश (अक्टूबर 2017) के अन्तर्गत सरकारी संस्थायें निर्धारित थीं। इस प्रकार, यूपीआरएनएन और यूपीपीसीएल को प्रदान की गई कार्य अनुबंध सेवाओं के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी की घटी हुई दर 13 अक्टूबर 2017 से 31 दिसम्बर 2021 तक लागू थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीआरएनएन और यूपीपीसीएल ने फरवरी 2019 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत क्रमशः 'वाराणसी में रिवर क्रूज के विकास' की परियोजना में मॉड्यूलर सिस्टम जेटी एवं संबद्ध सेवाओं की आपूर्ति और स्थापना का कार्य तथा 'रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर के विकास' की परियोजना में सोलर लाइट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य किया और 12 प्रतिशत की दर से लागू जीएसटी ₹ 46.30 लाख के सापेक्ष 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी के लिए ₹ 69.46 लाख का भुगतान किया। इस प्रकार, कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों को ₹ 23.16 लाख के जीएसटी का अधिक भुगतान किया।

निदेशालय ने उत्तर दिया कि कार्यदायी संस्थाओं (यूपीआरएनएन एवं यूपीपीसीएल) को अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2025)।

उ.प्र. सरकार का उत्तर भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

अनुश्रवण तंत्र तथा परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव

4.1.10 अनुश्रवण तंत्र तथा परियोजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव में पाई गई कमियों पर आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

अनुश्रवण समिति के गठन तथा भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब

4.1.10.1 स्वदेश दर्शन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य प्रशासन, परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति (एसएलएमसी) नियुक्त करेगा। प्रसाद योजना के स्वीकृति आदेशों के अनुसार राज्य सरकार को स्वीकृत परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का फीडबैक प्रदान करने तथा पर्यटन मंत्रालय को मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक अनुश्रवण समिति का गठन करना था। स्वदेश

[17] 22/2021 - एकीकृत कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर 2021 और 22/2021 - केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 31 दिसम्बर 2021।

दर्शन एवं प्रसाद के अन्तर्गत परियोजनाएँ वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत की गयी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र. सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रथम परियोजना की स्वीकृति से चार वर्ष से अधिक विलम्ब से एसएलएमसी का गठन किया (अगस्त 2019)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत बौद्ध थीमेटिक सर्किट के अन्तर्गत श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु के विकास तथा रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर के विकास की परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्टें दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि (सितम्बर 2016) से चार वर्ष और चार माह की अवधि के बाद फरवरी 2021 से प्रस्तुत की गई थीं।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान निदेशालय ने तथ्यों को स्वीकार किया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि एसएलएमसी का गठन पहले नहीं किया गया था क्योंकि प्रमुख सचिव और महानिदेशक, पर्यटन ने केन्द्रीय, राज्य और जिला क्षेत्र के अन्तर्गत सभी पर्यटन विकास परियोजनाओं का नियमित आधार पर अनुश्रवण और समीक्षा की थी। बाद में मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में एसएलएमसी का गठन किया गया है। वर्तमान में, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं के गहन अनुश्रवण के लिए पर्यटन विभाग, उ.प्र. सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, जहाँ सभी परियोजनाओं की प्रगति को कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जियोटैग्ड छायाचित्रों के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया गया है।

निदेशालय का उत्तर लेखापरीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि एसएलएमसी का गठन चार वर्ष से अधिक के विलम्ब से किया गया था।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

परिसम्पत्तियों को संचालन में नहीं लाया गया

4.1.10.2 केन्द्रीय योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित सार्वजनिक सुविधाओं के लिए एक प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव योजना होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत दो पूर्ण परियोजनाओं के प्रकरण में, एक परिसम्पत्ति (₹ 4.14 करोड़) को 23 माह के विलम्ब के बाद संचालन में लाया गया तथा ₹ 59.53 करोड़ की अन्य परिसम्पत्तियों को उनके पूर्ण होने की सम्बन्धित तिथि से संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक 13 माह से 44 माह के विलम्ब के बाद भी संचालन में नहीं लाया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-4.14** में वर्णित है।

उपरोक्त दो पूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह प्रकट हुआ कि कपिलवस्तु में सोलर पैनलों की बैटरियाँ तथा

साउण्ड एण्ड लाइट (एसईएल) शो के स्पीकर अवस्थापित नहीं किए गए थे तथा उन्हें एक अलग स्थान पर रखा गया था तथा श्रृंगवेरपुर में शौचालयों में ताले लगे पाए गए, जैसा कि नीचे दिए गए छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

छायाचित्र: 4.3

कपिलवस्तु में बिना बैटरी के सोलर पैनल	**कपिलवस्तु में भण्डारण कक्ष में पड़ी सोलर बैटरियाँ**
थीम पार्क/साउण्ड एण्ड लाइट शो, कपिलवस्तु में बिना स्पीकर के पोल	**श्रृंगवेरपुर में बंद शौचालय**

अग्रेतर, झाड़ियाँ ऊगी हुई हैं, सोलर पैनल टूटे हुए हैं और बैटरियाँ गायब हैं, सिविल निर्माण में रिसाव है, आदि, जैसा कि नीचे दिये गये छायाचित्रों में दर्शाया गया है:

छायाचित्र: 4.4

टीएफसी और बुद्ध थीम पार्क, श्रावस्ती में उगने वाली अवांछित झाड़ियाँ और घास	

टीएफसी एवं बुद्ध थीम पार्क, श्रावस्ती में टूटे हुए सोलर पैनल और गायब बैटरियाँ

टीएफसी, कपिलवस्तु में दीवार पर रिसाव

पार्किंग में शौचालय, श्रावस्ती

संचालन में विफलता/विलम्ब के फलस्वरूप पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने का योजना उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया/विलम्ब से पूर्ण हुआ।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि तीन वर्ष से अधिक के प्रयासों के बाद बौद्ध सर्किट परियोजना के संचालन के लिए आरएफपी में दो निविदाएँ प्राप्त हुई हैं और इसे शीघ्र ही संचालन में लाया जाएगा।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि परिसम्पत्तियों के समुचित संचालन और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. सरकार ने परियोजना को स्वीकृति देने से पहले इसके संचालन और रख-रखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौता करने का निर्देश दिया है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संस्तुति:

निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं को पूर्ण होने के तुरंत बाद संचालन में लाया जाए।

वाराणसी में रिवर क्रूज बोट का संचालन

4.1.10.3 निदेशालय[18] ने क्रूज बोट संचालन का कार्य अलकनंदा क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड को, पाँच वर्ष की अवधि के लिए, प्रथम वर्ष वार्षिक शुल्क

[18] संयुक्त निदेशक पर्यटन सह सचिव, 'महोत्सव समिति', वाराणसी।

₹ 25.51 लाख, जिसमें प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी, पर दिया (जुलाई 2021)।

अनुबंध में कहा गया था कि निविदा के दौरान न्यूनतम निविदा धनराशि कम रखते हुए ₹ 10 लाख रखी गई थी और भविष्य में यदि व्यवसाय में उच्च वृद्धि होती है, तो निदेशालय वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध की शर्तों में ठेकेदार के व्यवसाय में प्रतिशत वृद्धि के अनुरूप वार्षिक शुल्क में ऐसी वृद्धि की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। अग्रेतर, निदेशालय ने शुल्क में संशोधन के लिए ठेकेदार के व्यवसाय में वास्तविक वृद्धि का कोई मूल्यांकन नहीं किया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उप निदेशक, पर्यटन, वाराणसी को इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जो कि प्रतीक्षित है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर भी प्रतीक्षित है (मई 2025)।

संचालन एवं रख-रखाव के लिए भारत सरकार की निधियों का अनियमित उपयोग

4.1.10.4 स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित सार्वजनिक सुविधाओं के लिए प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव योजना होनी चाहिए। इन योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया था कि उ.प्र. सरकार/कार्यदायी संस्था सुविधाओं के रख-रखाव एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व लेगी। अत: संचालन एवं रख-रखाव की लागत उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत साउण्ड एण्ड लाइट (एसईएल) शो, लेजर शो, डिजिटल इंटरवेंशन सेंटर और सीसीटीवी/वाई-फाई जैसे कार्यों के कई घटकों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदान किया गया था, जिसमें परिसम्पत्तियों के पूर्ण होने और हस्तांतरण के पश्चात एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए संचालन एवं अनुरक्षण के लिए ₹ 3.77 करोड़ **(परिशिष्ट-4.15)** की लागत सम्मिलित थी। यद्यपि यह लागत उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी, परन्तु क्लोज़र रिपोर्ट में अनियमित रूप से भारत सरकार की निधि से इसकी मांग की गयी।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि उक्त कार्य के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा आमंत्रित निविदा में ही संचालन एवं रख-रखाव का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार ने भी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के

दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

निदेशालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिस पूर्ववर्ती स्वदेश दर्शन योजना, जिसके अन्तर्गत उक्त परियोजनाओं का निर्माण किया गया था, में भारत सरकार द्वारा संचालन एवं रख-रखाव का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इसकी लागत भारत सरकार द्वारा वहन न करते हुए उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

विभिन्न आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य के निष्पादन में कमियाँ

4.1.10.5 निदेशालय ने विभिन्न आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म स्थापना से सम्बन्धित कार्य के लिए अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (यूपीएल) को ₹ 14.86 लाख मासिक किराये पर नियुक्त किया (3 जनवरी 2022)। कार्य प्रदान करने के लिए पत्र निर्गत होने से लेकर, यूपीएल को कार्य के लिए निर्धारित गतिविधियों के लिए मॉड्यूलवार समयसीमा, बायो डाटा के साथ प्रस्तावित जनशक्ति और कार्य पूर्ति के लिए नियोजित मासिक गतिविधि समय सारिणी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएल ने कार्य के लिए पत्र निर्गत होने से लेकर अब तक उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसने निदेशालय से पूर्व अनुमति लिए बिना अपनी ओर से कार्य करने के लिए मैसर्स इंद्रधनुष को नियुक्त किया (15 जनवरी 2022)। यूपीएल कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करने और अगस्त 2022 तक निदेशालय द्वारा वांछित डैशबोर्ड का डिज़ाइन देने में विफल रहा। निदेशालय ने कार्य निष्पादन न करने के लिए फर्म को भुगतान रोक दिया (12 सितम्बर 2022)। यद्यपि, मार्च 2022 से जुलाई 2022 की अवधि के दौरान तीन माह (फरवरी 2022 से अप्रैल 2022) के लिए कुल ₹ 44.58 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका था।

इस प्रकार, बिना किसी प्रतिपादन के ₹ 44.58 लाख का भुगतान किया गया।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यूपीएल विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सका।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के अभिलेख रख-रखाव में विफलता

4.1.10.6 उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत राज्य योजना के दिशानिर्देश (फरवरी 2022) में प्रावधान किया गया था कि पर्यटन विकास स्थलों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण परिसम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाएगा तथा विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निदेशालय द्वारा न तो विभिन्न पर्यटन विकास स्थलों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण दर्शाने के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख-रखाव किया गया था और न ही ऐसे विवरण को विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस (दिसम्बर 2024) के दौरान उ.प्र. सरकार ने बताया कि जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के स्तर पर परिसम्पत्ति रजिस्टर के रख-रखाव का प्रयास किया जाएगा तथा इसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

अपने उत्तर में निदेशालय ने बताया (जनवरी 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उ.प्र. सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2025)।

निष्कर्ष

निदेशालय ने 82 नमूना परियोजनाओं में सर्वेक्षण और अवसंरचना में कमी का विश्लेषण किए बिना तथा 27 परियोजनाओं के नियोजन के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त किए बिना ही परियोजनाओं का नियोजन किया। डीपीआर/प्राक्कलनों को त्रुटिपूर्ण तरीके से बनाया गया, जिसमें पात्र मदों को छोड़ा गया अथवा व्यय की अपात्र मदों जैसे जीएसटी, सेन्टेज, श्रम उपकर आदि को सम्मिलित किया गया।

कंटिनजेन्सी मद में अधिक दावे, जीएसटी के लिए निधियों का अनियमित उपयोग, सेन्टेज, श्रम उपकर और जीएसटी के लिए अधिक धनराशि स्वीकृत करना, उ.प्र. सरकार के वित्तीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन तथा कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि प्रेषण में अनियमितताओं के कारण केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य योजनाओं हेतु निधियों के प्रबंधन में कमियाँ पाई गईं। कार्यदायी संस्था के नामांकन में विलम्ब, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों को कार्य देने में लगने वाले समय तथा ठेकेदारों द्वारा निष्पादन में विलम्ब के कारण नमूना परियोजनाएं 44 माह तक विलंबित रहीं। केन्द्रीय योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजी ट्रस्टों के स्वामित्व वाली भूमि पर परियोजनाओं का निर्माण किया गया। राज्य योजनाओं के मामले में दिशानिर्देशों के अनुरूप

पंजीकृत समितियों की भूमि पर निर्माण सुनिश्चित नहीं किया गया। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान, सेवा के लिए अग्रिम भुगतान तथा लिक्विडेटेड डैमेजेज वसूल न करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया। कार्यदायी संस्थाओं ने गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

कुछ नमूना प्रकरणों में, परियोजनाओं के अन्तर्गत बनाई गई परिसम्पत्तियाँ निजी भूमि पर निर्मित की गईं तथा कुछ में उन्हें परिचालन में नहीं लाया गया। परियोजना अनुश्रवण समिति के गठन तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। निदेशालय द्वारा विभिन्न पर्यटन विकास स्थलों पर निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण प्रदर्शित करने के लिए परिसम्पत्ति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया। ऐसे विवरण विभाग की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

लोक निर्माण विभाग

4.2 त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात भार गणना के कारण अधिक क्रस्ट ओवरले के कारण से ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग द्वारा चंदौली जिले में चहनिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के क्रस्ट ओवरले के डिजाइनिंग हेतु मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स (एमएसए) के रूप में डिजाइन ट्रैफिक की गणना में त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात को आधार बनाए जाने के कारण ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

सड़क के डिजाइन लाइफ के दौरान ले जाये जाने वाले मानक एक्सलों की संचयी संख्या के रूप में डिजाइन ट्रैफिक की गणना, निर्माण के बाद प्रारंभिक यातायात {वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) के संदर्भ में}, यातायात वृद्धि दर, डिजाइन लाइफ, वाहन क्षति कारक और कैरिजवे पर वाणिज्यिक यातायात के वितरण का उपयोग करके की जाती है।

इण्डियन रोड कांग्रेस (आईआरसी:37-2012) के प्रस्तर 4.4.2 में यह प्रावधान है कि वाहन क्षति कारक (वीडीएफ) विभिन्न एक्सेल लोड और एक्सेल विन्यासों वाले वाणिज्यिक वाहनों की संख्या को 80 केएन महत्ता के मानक एक्सेल लोड की पुनरावृत्तियों की संख्या में परिवर्तित करने का एक गुणांक है। यह प्रति वाणिज्यिक वाहन मानक एक्सेल के समतुल्य संख्या के रूप में परिभाषित है। प्रस्तर 4.4.3 में विभिन्न एक्सेल लोड पुनरावृत्तियों को समतुल्य मानक एक्सेल लोड पुनरावृत्तियों में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त तुल्यता कारकों की गणना करने का प्रावधान है और तत्पश्चात् इन मूल्यों के आधार पर वीडीएफ के मूल्य की गणना की जाती है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ एक्सेल लोड की पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है, प्रस्तर 4.4.6 में प्राविधानित सांकेतिक वीडीएफ मूल्यों का उपयोग किया जाना चाहिये।

विभाग ने चंदौली जिले में चहनिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 76.59 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अगस्त 2016) की थी। मुख्य अभियंता (सीई), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), वाराणसी परिक्षेत्र ने कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2016) की थी। अधीक्षण अभियंता (एसई), पीडब्ल्यूडी, वाराणसी वृत्त

ने विभागीय दर से 4.25 प्रतिशत अधिक पर कार्य निष्पादित करने के लिए ठेकेदार के साथ एक अनुबंध[19] पर हस्ताक्षर किया। कार्य सितम्बर 2016 में प्रारम्भ हुआ और जून 2018 में पूर्ण हुआ। कार्य के अंतिम देयक का भुगतान मार्च 2019 में किया गया।

खण्ड ने एक यातायात गणना रिपोर्ट प्रदान की थी जिसमें 330 वाहनों की प्रारंभिक यातायात गणना (औसत) प्रस्तुत की गयी थी। तथापि, उसने 330 के आंकड़े को 614 में परिवर्तित किया, जो आईआरसी के प्रावधान के अनुसार संगणित नहीं किया गया था, और इसे अग्रेतर मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) की गणना में सीवीपीडी के रूप में उपयोग किया।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2022) कि खण्ड ने न तो कोई एक्सल लोड सर्वे किया था और न ही आईआरसी:37-2012 के प्रस्तर 4.4.2 तथा 4.4.3 के प्रावधान के अनुसार समतुल्यता कारकों/वीडीएफ की गणना की थी तथा एमएसए की गणना करते समय सीवीपीडी के संदर्भ में 330 के स्थान पर प्रारंभिक यातायात के त्रुटिपूर्ण मूल्य 614 को ध्यान में रखा था। चूँकि खण्ड द्वारा कोई एक्सल लोड सर्वे नहीं किया गया था इसलिए गणना में प्रस्तर 4.4.6 में प्राविधानित 330 की प्रारंभिक यातायात गणना और वीडीएफ के सांकेतिक मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए था। एमएसए की गणना में सीवीपीडी के त्रुटिपूर्ण मूल्य पर विचार करने के कारण बिटुमिनस कंक्रीट की क्रस्ट 5 मिमी अधिक मोटी डाली गयी थी और परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ **(परिशिष्ट-4.16)** का परिहार्य व्यय हुआ था।

शासन ने उत्तर में बताया (मई 2024) कि बसों की संख्या 84, ट्रकों की संख्या 268, ट्रैक्टरों की संख्या 235 (सर्वे किये गये 1,567 में से 235 ट्रकों का वजन 3 मीट्रिक टन से अधिक था) और पशु द्वारा खींची जाने वाली बैलगाड़ियों की संख्या 27 (सर्वे की गई 248 में से 27 बैलगाड़ियों का वजन 3 मीट्रिक टन से अधिक था) को लेकर सीवीपीडी 614 निकाली गयी थी, जैसा कि कार्य की प्राविधिक स्वीकृति में वर्णित था। इस प्रकार, इस कार्य के लिए सीवीपीडी 614 थी तथा तदनुसार एमएसए की गणना की गयी थी और क्रस्ट डाली गयी थी। इस प्रकार कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया था।

---

[19] 51/एसईवी/2016-17 दिनांक 06.09.2016 मेसर्स ए.के.कंस्ट्रक्शन के साथ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा संदर्भित गणना केवल पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से सम्बन्धित है और इसको सीवीपीडी नहीं माना जा सकता है। अग्रेतर, डिजाईन यातायात गणना के लिए, खण्ड द्वारा बिना किसी समतुल्यता कारक/परिवर्तन के केवल प्रारम्भिक यातायात गणना पर सांकेतिक वीडीएफ लिया जाना चाहिये था। साथ ही, 3 मीट्रिक टन से अधिक भार वाले वाहन का लोड सर्वे न तो उत्तर के साथ उपलब्ध कराया गया था और न ही यह विस्तृत प्राक्कलन में पाया गया था।

लखनऊ **(राजीव कुमार पाण्डेय)**

दिनांक 2 फरवरी 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),**

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक 0 5 FEB 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**